"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021 — फाल्गुन 5, शक 1942

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-101/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/454 रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2021

संजय पटेल, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगरपालिका परिषद् महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

आदेश
(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 16 फरवरी, 2021.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द के प्रतिवेदन दिनांक 24-01- 2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् महासमुन्द, जिला महासमुन्द, (छ. ग.) के दिसम्बर -2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी संजय पटेल भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगरपालिका परिषद् महासमुन्द, जिला महासमुन्द के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी संजय पटेल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि में दाखिल तो किया गया परन्तु निर्वाचन व्ययों का भुगतान बैंक के माध्यम से न कर निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात् विधि द्वारा अपेक्षित रीति में निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी संजय पटेल को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 29-5-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 3-7-2020 को तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह मानते हुए कि अभ्यर्थी संजय पटेल को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; तदनुसार उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द द्वारा दिनांक 24-1-2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगरपालिका परिषद् महासमुन्द, जिला महासमुन्द, के वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पद के अभ्यर्थी संजय पटेल द्वारा निर्वाचन व्ययों का भुगतान बैंक के माध्यम से न कर निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विधि द्वारा अपेक्षित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-क (3) एवं इसके अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 3.3 का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-क (3) के अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 3.3 निम्नानुसार है :-

"धारा 32-क. (1) पार्षद के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा- प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती है, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

"धारा 32-क. (3) व्यय के लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जायें."

इसी के अनुक्रम में निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 3-निर्वाचन व्ययों की लेखा की विशिष्टियां की उप कंडिका 3.3 इस प्रकार है -

"3.3 नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के एक दिन पूर्व अनिवार्यत: एक पृथक बैंक खाता खोला जाए. निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय उक्त खाते से ही किये जाएं. इसी प्रकार निर्वाचन से संबंधित समस्त प्राप्तियां भी उक्त खाते में ही जमा की जावें."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के अन्दर अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-क (3) तथा उसके अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 3-निर्वाचन व्ययों की लेखा की विशिष्टियां की उप कंडिका 3.3 की अपेक्षानुसार विहित रीति में संधारित कर अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), महासमुन्द के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् महासमुन्द, जिला महासमुन्द, के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पद के अभ्यर्थी संजय पटेल ने यद्यपि निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में दाखिल किया तथापि निर्वाचन आय-व्ययों का लेखा बैंक के माध्यम से संधारित नहीं किया अर्थात् अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-क (3) तथा उसके अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 3-निर्वाचन व्ययों की लेखा की विशिष्टियां-की उप कंडिका 3.3 का पालन नहीं किया, और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. जबकि धारा 32 क (3) के अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित उल्लेखित आदेश में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक खाता खोलना आवश्यक है. निर्वाचन संबंधी समस्त व्यय ईसी खाते से किया जाने की अनिवार्यता है तथा उसी खाता से समस्त व्यय एवं प्राप्तियों भी किये जाने का प्रावधान है. इस अभ्यर्थी द्वारा इस असफलता के लिए आयोग को कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी संजय पटेल प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में संधारित कर आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान :-

"धारा 32-ग. निर्वाचन व्ययों का लेखा दायित्व करने में असफलता के कारण निरर्हता-यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायत का पार्षद होने के लिए उस आदेश की तारीख से ऐसी कालावधि, जो पांच वर्ष से अनधिक होगा, के लिए निरर्हित हो."

के अनुसार अभ्यर्थी संजय पटेल को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 16 फरवरी, 2021 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.